1. मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम (MIEWS) खाद्य कीमतों को स्थिर करने के लिए तंत्र प्रदान करता है, जिससे किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ होता है। क्या आप सहमत हैं? टिप्पणी कीजिये।

दृष्टिकोण (Approach)

यह प्रश्न, कथन पर आधारित प्रत्यक्ष प्रश्न है। **मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम (MIEWS)** खाद्य कीमतों को स्थिर करने के लिए तंत्र प्रदान करता है, जिससे किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ होता है, अतः यह प्रश्न किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ **पहुंचाने से सम्बंधित'** है। यहाँ मुख्य शब्द 'टिप्पणी' है, इसलिए हमें इस विषय पर महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख करना होगा और अपने विचार प्रस्तुत करने होंगे । हमें अपने दृष्टिकोण को प्रासंगिक प्रमाणों के लिए तर्क और संदर्भ का उपयोग करके सुदृढ़ करना होगा। हमें अपने उत्तर को तार्किक निष्कर्ष के साथ समाप्त करना होगा।

संबंधित अवधारणाएँ:	**उत्तर में प्रयुक्त मुख्य शब्दावली (Keywords)**
• ई-नाम • वस्तुओं की जमाखोरी • मूल्य में उतार-चढ़ाव • पीएम-किसान • आवश्यक वस्तु अधिनियम	• ऑपरेशन ग्रीन • किसान की आय दोगुनी करना • मूल्य स्थिरीकरण • फसल कृषि • कृषि-रसद

भूमिका (Introduction)

फसलों की कीमतों की निगरानी और किसानों को अलर्ट उत्पन्न करने के लिए, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम (MIEWS) पोर्टल और इसके डैशबोर्ड को लॉन्च किया। किसान उत्पादक संगठनों, **कृषि- भूविज्ञान, प्रसंस्करण सुविधाओं** और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए 2018-19 के केंद्रीय बजट में घोषित किए गए **ऑपरेशन ग्रीन्स** योजना के हिस्से के रूप में इस पोर्टल को विकसित किया गया है ।

मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम (MIEWS) पोर्टल को TOP स्कीम के तहत लॉन्च किया गया।

मुख्य भाग (Body)

मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम (MIEWS) पोर्टल और इसके डैशबोर्ड को टमाटर, प्याज़ और आलू (Tomato, Onion, Potato- TOP) स्कीम में **मूल्य स्थिरीकरण उपायों के** तहत लॉन्च किया गया **है**। यह किसानों के साथ-साथ जनता की समस्याओं का समाधान करेगा। भारत में, **खाद्य सुरक्षा** एक बड़ा मुद्दा और तंत्र है जो किसानों को उनके हितों को सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है और साथ ही उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए भी यह सही दिशा में कदम है।

- यह पोर्टल TOP फसलों से संबंधित प्रासंगिक जानकारी जैसे- मूल्य और आगमन, क्षेत्र, उपज एवं उत्पादन, आयात और निर्यात, फसल कैलेंडर, फसल कृषि विज्ञान आदि के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी का दृश्य फ़ॉर्मेट (Visual Format) में प्रसार करेगा। MIEWS प्रणाली यह प्रणाली किसानों को परामर्श देने के लिये तैयार की गई है ताकि आधिक्य की स्थिति में पूर्व चेतावनी मिलने के साथ-साथ चक्रीय उत्पादन से बचा जा सके। निर्णयकर्ताओं के लिए, MIEWS प्रणाली आपूर्ति की स्थिति की निगरानी करने और आवश्यक कदम उठाने में भी मदद करेगी।

- पोर्टल के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से TOP फसलों की बाज़ार स्थिति के बारे में नियमित और विशेष रिपोर्ट प्रदान की जाएगी। इस पोर्टल में सार्वजनिक और निजी दो वर्ग होंगे जिनके मध्य उपरोक्त विशेषता को विभाजित किया जाएगा। मूल्य एवं आगमन, उपज और उत्पादन, फसल कृषि वैज्ञानिक तथा व्यापार संबंधी रूपरेखा जैसे वर्ग तक लोगों की आसान पहुँच होगी किंतु नियमित एवं विशेष बाज़ार बुद्धिमत्ता रिपोर्ट और मूल्यों की भविष्यवाणी तक केवल नीति निर्धारकों की पहुँच होगी।

- साथ ही, पोर्टल से एक लैटर सरकार को सरप्लस बाजारों से उपभोग बाजार तक उपज के भंडारण और परिवहन के लिए किसानों को सब्सिडी प्रदान करके केंद्रीय योजना **"ऑपरेशन ग्रीन्स" के** तहत समय पर बाजार हस्तक्षेप करने में मदद करेगा।

- पोर्टल **निर्यात / आयात निर्णय** लेने के लिए इनपुट प्रदान करने में भी मदद करेगा। निर्यात के लिए आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने का निर्णय एक महत्वपूर्ण है और विभिन्न स्तरों पर विचार-विमर्श की आवश्यकता है। MIEWS की मदद से अधिकारियों के लिए निर्णय लेना आसान हो जाएगा।

- भारत में, अनौपचारिक बाजार, सूचित किसानों को दीर्घकालिक नुकसान पहुंचाता है। बिचौलियों ने अक्सर सब्जी बाजार के लाभ को छीन लिया है। पोर्टल महत्वपूर्ण खाद्य फसलों **की मौसमी जमाखोरी** की **जांच** करने में मदद करेगा और इसलिए सब्जी बाजार को सुव्यवस्थित करेगा।

- MIEWS का सफल कार्यान्वयन ई-एनएएम के कार्य को भी स्थिर करेगा। महत्वपूर्ण फसलों की कीमतों की बेहतर निगरानी से देश में **अनुबंध खेती के** लिए एक बेहतर वातावरण बन सकता है

निष्कर्ष (Conclusion)

आवश्यक फसलों की कीमतों में उतार-चढ़ाव की पृष्ठभूमि में, MIEWS कीमतों को स्थिर करने के साथ-साथ समय के साथ किसानों की आय बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यदि पोर्टल को इसके अच्छा उपयोग किया जाये तो यह **2022 तक किसान की आय** को **दोगुना करने के** लक्ष्य को प्राप्त करने में एक भूमिका का निर्वहन कर सकता है। यह जरूरी है कि किसानों को न केवल

पोर्टल का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए बल्कि उत्पादकों के संगठनों, प्रसंस्करण सुविधाओं और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से उनको सहायता प्रदान की जाए।

2. भारत की 'मिश्रित अर्थव्यवस्था' मॉडल में समाजवादी तत्व क्या हैं? उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से समझाइए।

दृष्टिकोण

प्रश्न सीधे भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति और चरित्र से संबंधित है। परिचय/भूमिका में, हम भारतीय अर्थव्यवस्था के समाजवादी पैटर्न पर संक्षिप्त चर्चा कर सकते हैं। हमें भारतीय अर्थव्यवस्था के मॉडल से समाजवादी तत्वों को उजागर करना होगा और उन्हें समझाना होगा। प्रत्येक तत्व के लिए ऐसे उदाहरणों का उपयोग करें जो ऐसी समाजवादी नीतियों की प्रकृति को प्रकट करते हैं।

संबंधित अवधारणाएँ:	**उत्तर में कीवर्ड (मुख्य शब्द):**
• समाजवाद • साम्यवाद • उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (LPG) सुधार • कल्याणकारी राज्य	• अटल पेंशन योजना (APY) • न्यूनतम समर्थन कार्यक्रम (MSP) • सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) • जन धन योजना (JDY) • गरीबी रेखा से नीचे (BPL) • एलपीजी सुधार • बहुआयामी गरीबी सूचकांक • सकल घरेलू उत्पाद

भूमिका

एक समाजवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली की विशेषता है जहां वस्तुओं और सेवाओं को सीधे उपयोग के लिए उत्पादित किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था अपने समाजवादी चरित्रों को उन विचारों से प्राप्त करती है जो स्वतंत्रता के पहले और बाद में भारत में व्याप्त थे। स्वतंत्रता के बाद, भारत ने एक मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल को अपनाया जिसमें निजी उद्यमों के विस्तार के लिए प्रोत्साहन भी था। आज, भारत के पास एक संपन्न निजी क्षेत्र के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों का राज्य स्वामित्व है।

मुख्य भाग

2019 में, भारत 2.94 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली एक बड़ी जनसंख्या है और सरकार विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से इस जनसंख्या का समर्थन करती है। 1991 के उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (एलपीजी) सुधारों के बाद भी, भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपने समाजवादी स्वरूप को पूरी तरह से नहीं छोड़ा है।

भारत के मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल में समाजवादी तत्व हैं:

- **सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ (PSUs):** सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम हैं। पीएसयू में बहुमत (>51%) चुकता शेयर पूंजी केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के पास होती है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

बड़ी संख्या में रोजगार सृजन करते हैं और सरकार के लिए अच्छा राजस्व अर्जित करते हैं। अर्थव्यवस्था के कुछ मुख्य क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत हैं, उदाहरण के लिए; प्राकृतिक गैस (ONGC), विद्युत (NTPC), स्टील (SAIL), आदि।

- **आर्थिक नियोजन:** समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय नियोजन तंत्र होता है। भारत में, सरकार निर्णय लेने और योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लाइसेंसिंग, अनुमोदन आदि से संबंधित निर्णय सरकार के निपटान में होते हैं। सरकार लक्ष्य निर्धारित करती है और निर्धारित समय में उन्हें प्राप्त करने की कोशिश भी करती है। उदाहरण; बजट 2015 में नीति आयोग की स्थापना पारंपरिक टॉप-डाउन नियोजन से परामर्शी नियोजन में परिवर्तन था।
- **कल्याणकारी कार्यक्रम:** भारत में अभी भी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली सबसे बड़ी जनसंख्या है। सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबी की तीव्रता को कम कर रही है। उदाहरण के लिए; विशेष कृषि उत्पादों, विशेष रूप से अनाज (गेहूं और चावल), सरकारी मध्यस्थ द्वारा खाद्यान्न की खरीद, भंडारण और परिवहन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराना।
- **पेंशन और बीमा** : भारत की अधिकांश जनसंख्या असंगठित क्षेत्र में निहित है और औपचारिक पेंशन प्रणाली से बाहर है। सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लाखों लोगों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अटल पेंशन योजना (APY), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) आदि शुरू की है। आजकल अच्छी तरह से पहचानी हुई, बाजार असफलताओं को देखते हुए; परिसंपत्ति हस्तांतरण का एक अन्य रूप गरीबों को रियायती दरों पर ऋण की पहुंच प्रदान करना है।
- **सरकार की भागीदारी :** भारत सरकार यह सुनिश्चित करती है कि विकास का लाभ प्रत्येक नागरिक को मिले। मुनाफाखोरी विरोधी तंत्र हो, जमाखोरी को समाप्त करना है ताकि एक ही स्थान पर धन का संचय ना हो। साथ ही सभी नागरिकों को समान स्तर प्रदान करने के लिए ठेके देने का खुला तंत्र विकसित किया गया है। नीतियों के एक अन्य सेट ने मनरेगा जैसे विभिन्न रोजगार सृजन कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण गरीबों की आय बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है।
- **समानता और आर्थिक सुरक्षा :** भारत का संविधान सभी के लिए रोजगार का समान अवसर (अनुच्छेद 16) प्रदान करता है। नागरिकों को समान अवसर और शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल आदि अधिकारों का लाभ मिलता है। इसलिए विभिन्न वर्ग के लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं है। पीएम-किसान योजना, जनधन योजना आदि कार्यक्रम लोगों की आर्थिक सुरक्षा के लिए हैं।
- **आय वितरण:** भारत की कराधान प्रणाली प्रगतिशील है अर्थात् अमीरों पर गरीबों की तुलना में अधिक कर लगाया जाता है। सरकार ने अपने बजट में विभिन्न आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स स्लैब तैयार किए हैं। साथ ही कृषि ऋणों को प्रोत्साहित किया जाता है और फसल खराब होने की स्थिति में ऋण पूरी तरह से माफ कर दिया जाता है।

निष्कर्ष

भारत ने गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की जनसंख्या को कम करने के लिए एक अच्छा प्रयास किया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2019 की **वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक** रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 27.1 करोड़ गरीब बीपीएल सूचकांक से ऊपर आ गए हैं।

वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है और भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को नई आर्थिक व्यवस्था के अनुरूप बना दिया है। भारत का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने और डिजिटलीकरण, वैश्वीकरण, अनुकूल जनसांख्यिकी और सुधारों के आधार पर उच्च-मध्यम आय की स्थिति प्राप्त करने की उम्मीद करता है।

3. बहिर्जनित (Exogenic) और अंतर्जनित (Endogenic) बल क्या हैं? वे किसी क्षेत्र की स्थलाकृति को कैसे प्रभावित करते हैं? उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से व्याख्या कीजिए।

दृष्टिकोण (Approach)

यह प्रश्न दो भागों में विभाजित है। सबसे पहले, आपको बहिर्जनित (Exogenic) और अंतर्जनित (Endogenic) की अवधारणा को समझाना होगा। उदाहरण की मदद से, आप कारण समझाना पड़ेगा कि एक क्षेत्र के प्राकृतिक भूगोल पर exogenic और endogenic बलों का क्या प्रभाव पड़ता है। प्रश्न में उपस्थित मुख्य शब्दों को उप-शीर्षकों के रूप में उपयोग करें। अवधारणाओं को अधिक स्पष्ट करने के लिए आरेख का स्पष्ट उपयोग आवश्यक है। आप स्पष्ट रूप से घटना को चित्रित करने के लिए एक फ्लोचार्ट का उपयोग कर सकते हैं।

संबंधित अवधारणाएँ:	**उत्तर के लिए मुख्य शब्द:**

• पटलविरुपण (Diastrophism)
  • स्थलाकृति का निर्माण
  • अनाच्छादन की प्रक्रिया'
  • विवर्तनिक/पर्वतनी (orogeny)
	• अंतर्जनित बल (Endogenic force)
	• बहिर्जनित बल (Exogenic forces)
	• अपक्षय
	• स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट

परिचय (Introduction)

जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें **अंतर्जनित बल** (Endogenic force) कहते हैं एवं अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं, तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। इन प्रक्रियाओं से पर्वत, पठार एवं मैदान का निर्माण होता है।
ये बल धीमे (प्लेट टेक्टोनिक्स) होने के साथ-साथ आकस्मिक (भूकंप) भी हो सकते हैं।

जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें **बहिर्जनित बल** (Exogenic forces) कहते हैं। बहिर्जनित बल की सभी प्रक्रियाएँ भू-पृष्ठ को सदा समतल करती रहती है। अपक्षय एवं अपरदन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्यभूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भू-दृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपरदन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं।
इस बल के कारण परिवर्तन बहुत धीमा होता है और इसका परिणाम हजारों वर्षों में दिखाई देता है।

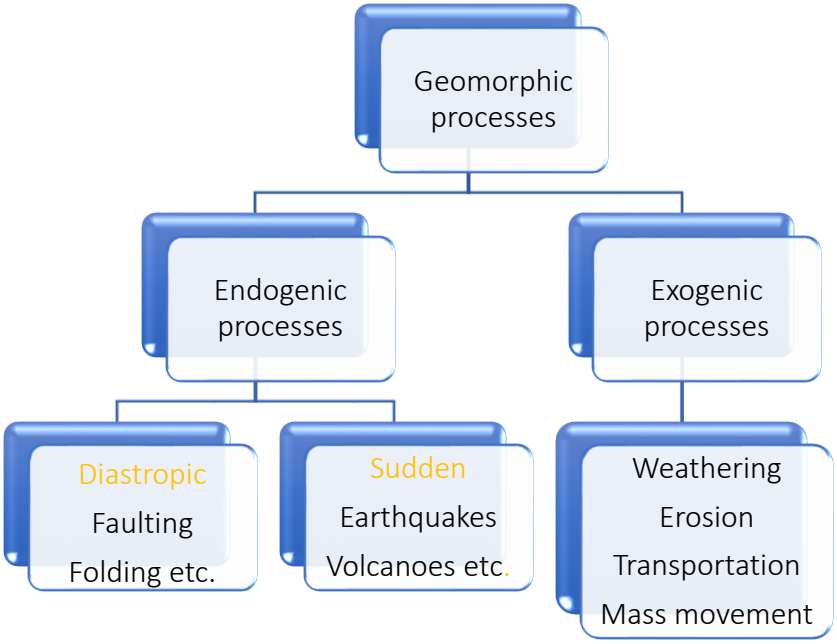

मुख्य भाग (Body)

अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल किसी क्षेत्र की स्थलाकृति को कैसे प्रभावित करते हैं:

अंतर्जनित बल	स्थलाकृति पर प्रभाव
ज्वालामुखी	• ज्वालामुखी के कारण भू-आकृतियों का निर्माण होता है जैसे- बेसाल्ट मैदान, शील्ड ज्वालामुखी और भ्रंश घाटियां। • हॉट स्प्रिंग्स और गीजर भी ज्वालामुखीय गतिविधि से संबंधित हैं। • लावा पठार का निर्माण तब होता है जब एक व्यापक क्षेत्र में ज्वालामुखी से निकला द्रव लावा बड़ी मात्रा में प्रवाहित होता है। • ज्वालामुखी गतिविधियों द्वारा क्रेटर झीलों का निर्माण होता जाता है। जैसे- इंडोनेशिया में लेक टोबा • आग्नेय चट्टानों और यहां तक कि द्वीपों का भी निर्माण होता है जैसे-हवाई द्वीप • ज्वालामुखी उस मृदा के लिए भी उत्तरदायी है जो उन क्षेत्रों में पायी जाती है जहाँ बेसाल्टिक मृदा पाई जाती है।
भूकंप	• भूकंप विवर्तनिक/पर्वतनी (orogeny) से सम्बंधित प्रमुख विशेषता है। • बड़े पैमाने पर भूकंप द्वीपों को जन्म दे सकते हैं और उन्हें जलमग्न भी कर सकते हैं।

	• भूकंप एक नदी के प्रारूप को भी बदल सकते हैं और झीलों का निर्माण कर सकते हैं। एक शक्तिशाली भूकंप के कारण मिसीसिपी नदी (USA) का मार्ग बदल गया था। • भूकंपों के कारण भ्रंश का निर्माण होता है जो जलभराव का कारण बन सकता है।
प्लेट टेक्टोनिक्स	• अन्य कारकों की तहत प्लेट टेक्टोनिक्स पहाड़ों के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाते है, साथ ही यह ज्वालामुखियों के विस्फोट, और भूकंप का कारण बनते है • प्लेटों के विचलन का कारण भ्रंश घाटियों और ज्वालामुखी का निर्माण होता हैं। • लाखों वर्षों में प्लेट का संचलन विश्व के पूरे भूगोल को परिभाषित करता है।

बहिर्जनित बल तीन मुख्य गतिविधियों से संबंधित होती हैं यानी अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण बल।

बहिर्जनित बल	**स्थलाकृति पर प्रभाव**
जल	• नदियाँ कटाव के साथ-साथ क्षरण का एक महत्वपूर्ण कारक हैं। पहाड़ों से बहने वाली नदियाँ का प्रारम्भ तंग व छोटी-छोटी क्षुद्र सरिताओं से होता है। ये क्षुद्र सरिताएँ धीरे-धीरे लंबी व विस्तृत अवनलिका में विकसित हो जाती हैं। ये अवनालिकाएँ धीरे-धीरे और गहरी व चैड़ी होकर घाटियों का रूप धारण कर लेती हैं। लम्बाई, चैड़ाई एवं आकृति के आधार पर इन घाटियों को V आकार की घाटी, गार्ज, कैनियन आदि में वर्गीकृत किया जा सकता हैं। • नदी के बीच में कम ढाल वाली घाटियाँ और बाढ़ के मैदान बनते हैं। • निक्षेपण कार्य निचले बेसिनों में शुरू होता है जो ऑक्सो बो झीलों (गोखुर झील), नदी विसर्प (Meanders), डेल्टा आदि का निर्माण करता हैं।
पवन	• पवनें अपरदन के साथ-साथ निक्षेपण बल का भी कार्य करती हैं। पवन के कटाव संबंधी पहलुओं में घर्षण, अपस्फीति और क्षीणन शामिल हैं। ये क्रियाएं स्थलाकृति का निर्माण करती हैं, जैसे कि इंसेलबर्ग (Inselberg), अपवाहन गर्त (Deflation hollows), वेदिकाएँ (Terraces), पेडीमेंट (Pediment) और पदस्थली (Pediplain) आदि। • पवनों के निक्षेपण द्वारा बालू-टिब्बे (Sand Dunes), विशाल लोएस निक्षेप मैदानों और बीहड़ आदि का निर्माण होता है।
जैविक गतिविधियाँ	• अपक्षय यांत्रिक, रासायनिक और साथ ही जैविक भी हो सकता है। जैविक अपक्षय का तात्पर्य जीवों जैसे फफूंद, सूक्ष्मजीव जैसे जीवाणु आदि के कारण होने वाली अपक्षय से है। ये मृदा के निर्माण में सहायता करते हैं क्योंकि यह जीव चट्टानों को कमजोर कर देते हैं।

भौम जल (भूमिगत जल)	• भौम जल (भूमिगत जल) मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट युक्त चूनापत्थर या डोलोमाइट चट्टानों के अपरदन या निक्षेपण द्वारा अनेक स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। किसी भी चूना-पत्थर या डोलोमाइट चट्टानों के क्षेत्र में भौम जल द्वारा घुलन प्रक्रिया उसके निक्षेपण से बने स्थलरूपों को कास्ट स्थलाकृति (Karst topography) कहते हैं। कार्स्ट स्थलाकृति के सबसे अच्छे उदाहरणों में से एक यूगोस्लाविया का कार्स्ट क्षेत्र है। • भूमिगत जल की क्रिया द्वारा अधिकतर कैल्सियम कार्बोनेट का निक्षेपण होता है और इससे स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट भू-आकृतियों का निर्माण होता है।
तरंग	• तरंग, तटों के कटाव का प्रमुख कारण हैं। तरंग द्वारा किए गए अपरदन के कारण निर्मित मुख्य आकृतियों से मंद ढाल वाला या समतल प्लेटफार्म, समुद्री कंदराएँ (Sea Caves), तटीय मेहराब और समुद्री स्टैक (stack) का निर्माण होता है। • तरंग के द्वारा किए गए प्रमुख निक्षेपित स्थल रूप के रूप में पुलिन (Beaches), रेत टिब्बे (Dunes) ,रोधिका (Offshore Bar),रोध (Barriers) ,स्पिट (Spit) ,लैगून (Lagoon) का निर्माण होता है।
गुरुत्वाकर्षण	• भूस्खलन के कारण एक क्षेत्र की स्थलाकृति को आकार देने के लिए शैलों का बृहत् मलवा गुरुत्वाकर्षण के सीधे प्रभाव के कारण ढाल के अनुरूप स्थानांतरित होता है।

नोट: आप इससे संबंधित अन्य उदाहरण दे सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं

निष्कर्ष (Conclusion)

निर्माण और विघटन की प्रक्रिया एक निरंतर है। भू-आकृति बल हमेशा कार्य करते हैं और अक्सर एक क्षेत्र की स्थलाकृति को आकार देने में एक दूसरे की सहायता करते हैं।
अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल लाखों वर्षों तक एक साथ काम कर सकते हैं ताकि यह स्थलाकृति को रूप दे सके। इन बलों द्वारा होने वाला परिवर्तन आकस्मिक या लाखों साल में दिखाई देता हैं। वैज्ञानिक कई कारकों पर विचार करके विशेष रूप से निर्मित स्थलाकृति को रूप को निर्धारित करने पर काम करते हैं।

मानव निर्मित गतिविधियों जैसे बड़े बांधों, सुरंगों आदि के निर्माण ने भी स्थलाकृति के परिवर्तन में नया आयाम जोड़ा है।

4. उन परिस्थितियों की जांच करें जिनके तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। भारत में संवैधानिक संशोधनों के इतिहास पर संविधान के संशोधन प्रावधान कैसे प्रतिबिंबित होते हैं? चर्चा करें।

दृष्टिकोण

प्रश्न को पहले पूरी तरह से समझने की जरूरत है। प्रश्न का पहला भाग विभिन्न परिस्थितियों के बारे में पूछता है जो संसद को संविधान में संशोधन लाने के लिए बाध्य कर सकती हैं। हम एक फ्लचार्ट/बॉक्स का उपयोग करके संविधान में संशोधन प्रावधानों का संक्षेप में उल्लेख कर सकते हैं। यहां हमें "जांच" करनी होगी अर्थात हमें संशोधनों के लिए आवश्यकताओं का उल्लेख करना होगा और अपनी बात को मान्य करने के लिए उदाहरण देना होगा। प्रश्न का दूसरा भाग पेचीदा है और हमें भारत के इतिहास में संविधान में किए गए महत्वपूर्ण संशोधनों का पता लगाने के लिए कहता है। इसके अलावा, हमें उन परिस्थितियों का विश्लेषण करना होगा जिनके कारण संशोधन किये गए थे।

संबंधित अवधारणाएं:	**उत्तर में विशिष्ट शब्द:**
• संसद में संवैधानिक संशोधन विधेयक का पारित होना। • धन विधेयक। • संसद का संयुक्त सत्र। • राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां।	• पंचायती राज संस्थाएं • विशेष बहुमत। • संवैधानिक लक्ष्य। • अनुच्छेद 368 • मिनी संविधान।

प्रस्तावना

भारतीय संविधान कानूनों, नियमों और विनियमों से युक्त लिखित दस्तावेज है जो राज्य के उद्देश्यों को और उसके नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करता है। भारतीय संविधान मुख्य रूप से दुनिया में सबसे लंबा लिखित संविधान है क्योंकि इसमें एक अत्यधिक विविध समाज की इच्छाओं और आकांक्षाओं को शामिल किया गया है। हमारे पूर्वजों ने संविधान को गतिशील बनाए रखने और भावी पीढ़ियों के लिए समय की आवश्यकता के अनुसार इसे बदलने के लिए जगह छोड़ने में बुद्धिमानी समझी। इसलिए 1950 में इसे अपनाने के बाद से अब तक हमारे संविधान में 104 बार संशोधन किया जा चुका है।

मुख्य भाग

भारत के संविधान में संशोधन कैसे किया जा सकता है?

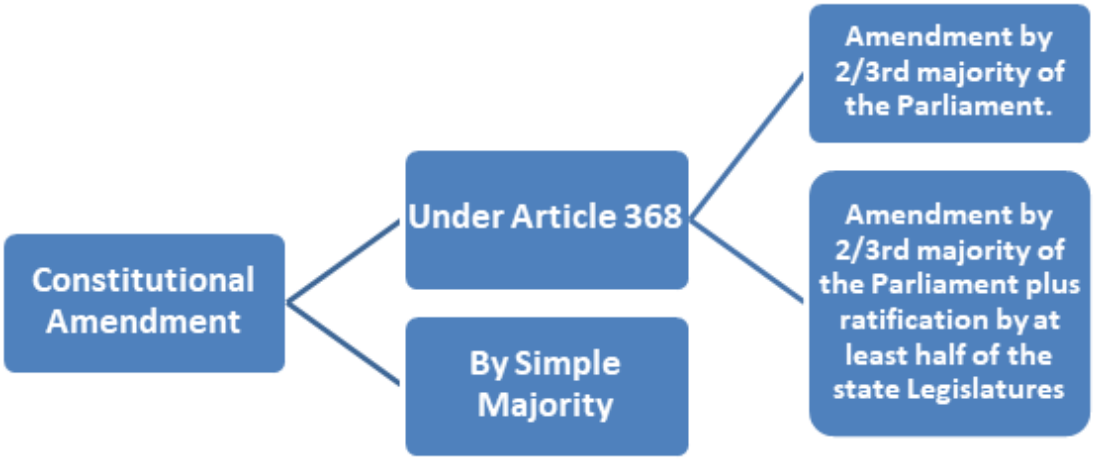

परिस्थितियाँ

जो संविधान में संशोधन का कारण बन सकती हैं;

- **मौलिक अधिकारों की क्षमता बढ़ाने के लिए**: नागरिकों के समग्र कल्याण के लिए मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण हैं। बदलते समय के साथ मूलभूत अधिकारों को मूलभूत आवश्यकता बनाना अनिवार्य हो जाता है। उदाहरण; शिक्षा का अधिकार (छियासीवां संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा एक मौलिक अधिकार बनाया गया।

- **डीपीएसपी के तहत उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए**: राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत, हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली को और अधिक समावेशी बनाने के लिए राज्य द्वारा कई उपाय किए जाते हैं। उदहारण; 1992 के तिहत्तर वे संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थानों का गठन।

- **संविधान की दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए**: संविधान के निर्माताओं का लक्ष्य भारत को एक सफल उदार लोकतंत्र बनाना था। समय के साथ-साथ भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक जीवंत और समावेशी बनाने के लिए आवश्यक परिवर्तन किए गए। उदाहरण के लिए; 1989 के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान के लिए आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया।

- **समय की जरूरतों को पूरा करने के लिए:** आधुनिक समय को आधुनिक कानूनों की जरूरत है। दुनिया भर में सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप, संसद कानूनों में बदलाव ला सकती है। उदाहरण; विदेशी मुद्रा; 2017 के 101 वें संशोधन अधिनियम द्वारा वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) का परिचय।

- **SC/ST का कल्याण, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का कल्याण आदि।**

नोट: आप और अधिक परिस्थितियां को जोड़ सकते हैं जिससे संविधान में संशोधन हो सकते हैं।

कैसे संशोधन प्रावधान महत्वपूर्ण संशोधनों पर परिलक्षित होते हैं;

संविधान के विभिन्न भागों में संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 का उपयोग किया जा सकता है। इसे समयावधि में किए गए संशोधनों द्वारा समझाया जा सकता है। अनुच्छेद 368 का उपयोग संविधान के कुछ लक्ष्यों और उद्देश्यों को लागू करने के लिए किया गया है।

- **प्रथम संशोधन अधिनियम, 1951** में इसके भीतर कई महत्वपूर्ण विशेषताएं शामिल थीं। इसने बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग, जमींदारी उन्मूलन कानूनों के सत्यापन के खिलाफ प्रावधान किया और स्पष्ट किया कि समानता का अधिकार उन कानूनों के अधिनियमन पर रोक नहीं करता है जो समाज के कमजोर वर्गों के लिए "विशेष विचार" प्रदान करते हैं।

- 1970 के दशक की शुरुआत में संविधान में संशोधन करने के लिए सरकार द्वारा अपरिवर्तित शक्तियां हासिल करने के लिए संशोधन की श्रृंखला लाई गई थी। **24 वें, 25 वें और 26 वें संशोधन अधिनियमों** को दो साल के अंतराल में लाया गया था- पहला, जो गोलकनाथ निर्णय को पलटने में सक्षम था, जबकि अन्य दो ने बैंक के राष्ट्रीयकरण और निजीकरण पर न्यायिक निर्णयों को दरकिनार किया। चौबीसवे संशोधन के रूप में, संविधान के अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया और संसद को संविधान में किसी भी संशोधन को करने के लिए अनुच्छेद 368 के उपयोग की सुविधा मिली। केशवानंद भारती के फैसले ने गोलकनाथ के फैसले को खारिज कर दिया और संसद को वापस संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिया, बशर्ते कि इसके "बुनियादी ढांचे" में बदलाव ना किया जाये।

- मिनी, संविधान **(42 वां संशोधन अधिनियम, 1976)** ने प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता तथा डीपीएसपी के दिशानिर्देशों पर एक प्रावधान को सम्मिलित किया। धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को राष्ट्र के विश्वास को बहाल करने के लिए जोड़ा गया ताकि अल्पसंख्यक सुरक्षित होंगे और अमीर तबके द्वारा उनका शोषण नहीं होगा। इसके अलावा, अमीरों को देश की अर्थव्यवस्था पर हावी नहीं होने दिया जाएगा।

- **44 वें संशोधन अधिनियम,1978** को 42 वें संशोधन अधिनियम के प्रभावों को समाप्त करने के लिए पारित किया गया था जिसने सरकार को अनुच्छेद 368 का उपयोग करके अपनी इच्छा पर संविधान में संशोधन करने की अनुमति दी। साथ ही, मौलिक अधिकारों के संरक्षण को मजबूत किया गया।

- संपत्ति का अधिकार **44 वें संशोधन अधिनियम, 1978** द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। भूमि के पुनर्गठन की अनुमति देने और विकास परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण को सुगम बनाने के लिए भारत में संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया।

- **102 वां संशोधन अधिनियम, 2018** सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करने और उनके साथ अधिकारों और सुरक्षा उपायों के अभाव के संबंध में किसी भी विशिष्ट शिकायत की जांच करने के लिए किया गया।

निष्कर्ष

संविधान सभा का हिस्सा रहे संविधान निर्माता महान न्यायविद, अनुभवी नीति-उपदेशक और राजनेता थे। वे जानते थे कि संशोधन प्रक्रिया किसी भी संविधान के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है और उनका उद्देश्य भारत को एक अनुकूल संविधान देना था। अनुच्छेद 368 का अंतिम आकार संविधान सभा में संशोधन प्रावधान के अनुकूलन के संबंध में सार्थक विचार-विमर्श और चर्चाओं के सफल और सार्थक परिणाम को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। संवैधानिक संशोधन के सबसे महत्वपूर्ण परिणामों में से एक विधायिका और न्यायपालिका के बीच घर्षण में वृद्धि है। वर्तमान स्थिति यह है कि संसद किसी भी तरीके से संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन इसकी 'बुनियादी संरचना' को नष्ट नहीं कर सकती। न्यायपालिका ने इसे परिभाषित नहीं करके 'बुनियादी संरचना' के बारे में अस्पष्टता छोड़ दी है।